प्रेषक.

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उ०प्र०।

सेवा में.

- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक— एस०पी०एम०यू० / एन०आर०एच०एम० / विधि / 2012—13 / ९५८५ - ६ दिनांक १८.12.2012 विषय— कोर्ट केस एक्सरे टेक्नीशियन / लैब टेक्नीशियन के सम्बन्ध में। महोदय.

कृपया कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू०/एन0आर0एच0एम0/ 2012—13 / 1692—75, दिनांक 10 अक्टूबर 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें। पत्र के द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं समस्त जिलाधिकारियों को संविदा कर्मी एक्सरे टेक्नीशियन/लेब टेक्नीशियन से सम्बन्धित पत्र संख्या—307/एन0आर0एच0एम0/एस0पी0एम0यू०/एमडी कैम्प /2012—13 / 821—72 दिनांकित 24.07.2012, को मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या— 4716 (एस/एस)/2012 में पारित आदेश के कम में अन्तरिम (Interim) रूप से स्थिगत किया गया था।

मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा दिनांक 17.12.2012 को रिट याचिका संख्या—संख्या—7222 (एस/एस)/2012 तथा इस याचिका से सम्बन्ध अन्य रिट याचिका संख्या—3807 (एस/एस)/ 2012, रिट याचिका संख्या—4770 (एस/एस)/2012, रिट याचिका संख्या—6098(एस/एस)/2012, रिट याचिका संख्या—4716 (एस/एस)/2012 एवं रिट याचिका संख्या—5387 (एस/एस)/2012, में एक्सरे टेक्नीशियन/लेब टेक्नीशियन के संविदा नियुक्ति हेतु पूर्व आदेश को संशोधित करते हुये निम्नानुसार आदेश दिये है—:

"As such the state Government through the principal Secretary, Medical & Health Services, Government of U.P. as well as the Director General of Medical & Health Services, are hereby directed to initiate and complete process of selection for regular appointment on the aforesaid posts and fill up these posts at the earliest, may be within a period of three months from the date a certified copy of this order is produced before them.

So far as the petitioners who are were working under the N.R.H.M. scheme are concerned, in case the posts of Laboratory Technicians and X-Ray Technicians on which they were working are made available for the current year and the work of the petitioners has been found satisfactory, the petitioners shall be considered for renewal on the posts on which they were working and appropriate orders in this regard shall be passed by the

authority concerned within a period of one month from the date a certified copy of this order is produced before it. The advertisement, if any, issued with regard to the posts on which the petitioners under the N.R.H.M. were working shall be acted upon only after consideration of the renewal of appointment of the petitioners. The interim order dated 14.8.2012 passed in Writ Petition No. 3807(S/S) of 2012 and the interim order dated 17.9.2012 passed in Writ Petition No. 4716 (S/S) of 2012 are modified to that extent.

It is, however, made clear that the selection/ appointment made in pursuance of the above directions shall be subject to further orders of the Court."

आप अवगत हैं कि राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की नियोजन एवं अनुश्रवण विंग है तथा समस्त योजनाओं का संचालन एवं पर्यवेक्षण आप के ही नियंत्रण में किया जाता है। अतःयह अनुरोध है कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अपने स्तर से भेजने का कष्ट करें तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराये।

भवदीय

ू (अमित कुमार घोष) मिश्रण निदेशक

पत्रांक-एस०पी०एम०यू०,एन०आर०एच०एम० / विधि / 2012-13 / १८४५ - १८ - ६ नांक .12.2012 प्रतिलिपि :--

1. प्रमुख सचिव-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सूचनार्थ प्रेषित।

2. समस्त जिलाधिकारी —उत्तर प्रदेश इस आशय से कि वे जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय के अध्यक्ष है तथा जनपद में संचालित सभी गतिविधियां आप के ही नियंत्रण में है।

3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी— उ०प्र० को इस आशय से कि आप जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय के संयोजक तथा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं तथा जनपद में सभी योजनाओं का संचालन एवं उससे सम्बन्धित नियुक्तियां आपके स्तर से होती है।

4. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक / वित्त नियंत्रक—एन0आर0एच0एम0,राज्य कार्यकम प्रबन्धन इकाई लखनऊ।

5. समस्त मण्डलीय प्रबन्धक, मण्डलीय परियोजना प्रबन्धन इकाई एन०आर०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।

> ्री. 12.12 (अमित कुमार घोष) मिश्रान निदेशक